

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-83/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० ज्योत्सना, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग), जवाहर लाल नेहरू, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर द्वारा बीमारी के कारण उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-15.10.2020 28.10.2020, दिनांक-15.06.2022 से 30.06.2022 एवं दिनांक-07.09.2022 से 17.09.2022 तक को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 तथा वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार के ज्ञापांक-1728(25) दिनांक-19.08.2025 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-15.10.2020 से 21.10.2020 तक	-	कुल 07 (सात) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-22.10.2020 से 28.10.2020 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में
iii.	दिनांक-15.06.2022 से 30.06.2022 तक	-	कुल 16 (सोलह) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
iv.	दिनांक-07.09.2022 से 17.09.2022 तक	-	11 (ग्यारह) दिनों को उपार्जित अवकाश के रूप में।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-31(25), दिनांक-05.01.2023 के आलोक में स्वीकृत विभागीय आदेश संख्या-1123(2) दिनांक-26.06.2023 को रद्द किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-83/2023- 583(2) पटना, दिनांक 18/13 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/डा० ज्योत्सना, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग), जवाहर लाल नेहरू, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर/ प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. 18/13/26
सरकार के उप सचिव